NO-36 dt-01/8/22

4q

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653

रजिस्टर्ड / कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन: 0522–2287037
रैक्स नं0 : 0522–2287701 वि.नं.–4653

संख्या 3192 / का0 एवं प्रशा0 / जविनिलि / 22–17(10) / 2000 दिनांक: 30.07.2022

1– मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0) / (एम0पी0एस0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
2– उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
3– अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी / माताटीला / खारा।
4– अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5– अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी / ओबरा / माताटीला / खारा / मुजफ्फरनगर।
6– अधिशासी अभियन्ता, जानपद निर्माण खण्ड, खारा / रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, पिपरी।
7– लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण) / (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

विषयः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के परिपत्र संख्या 975–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2022–7–काविनी एवं वे0प्र0 / 17 दिनांक 28.07.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3158 / का0 एवं प्रशा0 / जविनिलि / 22–17(10) / 2000, दिनांक 29.07.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के परिपत्र संख्या 975–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2022–7–काविनी एवं वे0प्र0 / 17, दिनांक 28.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) के प्राविधानों को उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में कार्मिकों के प्रयोजनार्थ सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त लागू कर दिया गया है। उक्त परिपत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

/

(मो0 अलीम)
उप सचिव (का0 प्रशा0)

संख्या 3192 / का0 एवं प्रशा0 / जविनिलि0 / 22–17(10) / 2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।
2– निदेशक (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
3– अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

30/07/2022

(मो0 अलीम)
उप सचिव (का0 प्रशा0)

AE (HQ)

01/8/22

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

3156

29.07.22

संख्या 975 –काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2022–7–काविनी एवं वे0प्र0/17 दिनांक 28 जुलाई, 2022

परिपत्र

शासनादेश सं० 4/2022/वे०आ०–1–276/दस–2022–8(एम)/2016 दिनांक 23.07.2022 की अनुरूपता में कारपोरेशन के पत्र सं0 930–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/22–07–काविनी एवं वे0प्र0/17 दिनांक 28.07.2022 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2022 से देय धनराशि का भुगतान अगस्त माह के नियमित वेतन के साथ नकद किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में यह सूचनीय है कि शासनादेश सं० 4/2022/वे०आ०–1–276/दस–2022–8(एम)/2016 दिनांक 23.07.2022 को उ0प्र0 शासन द्वारा *Replace* कर दिया गया है, जिसमें अब बढ़े हुए महँगाई भत्ता का नकद भुगतान जुलाई माह के नियमित वेतन के साथ किये जाने का प्राविधान किया गया है। तद्नुरूपता में कारपोरेशन के आदेश सं0 930–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/22–07–काविनी एवं वे0प्र0/17 दिनांक 28.07.2022 के प्रस्तर–2(v) में यथोचित् संशोधन करते हुए अब बढ़े हुए महँगाई भत्ता का नकद भुगतान जुलाई माह के वेतन के साथ किया जाना है।

3. अस्तु कारपोरेशन के आदेश सं0 930–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/22–07–काविनी एवं वे0प्र0/17 दिनांक 28.07.2022 का प्रस्तर–2(v) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये, अन्य शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय

(राकेश भटट)
उप सचिव (का०वि०नी०)

सं0– 975–(I) काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
14. उप सचिव (स0प्र0–लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

28/7/22

(राकेश भटट)
उप सचिव (का०वि०नी०)

F:\Kavini All\kavini New\2017\7-Kavini & Ve.Pra.-17\Letter.doc

32

Scanned with CamScanner